कार्यालय : प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरूआसागर, झाँसी।

पत्रांक : डायट / वि.बी.टी.सी. 2008 (विशेष चयन) / / 2009–10 / दिनांक : ....

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी.टी.सी. 2008 (विशेष चयन) के संदर्भ में निर्गत शासनादेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में जनपद–झांसी हेतु अ0पि0व0 09, अनुसूचित जाति 07 तथा अनुसूचित जनजाति 01 कुल–निर्धारित 17 सीटों के सापेक्ष रिक्त 02 सीट (महिला / कला / अनु0 जाति–02) के बीस गुनी संख्या में चतुर्थ जांच सूची जो "List of Candidates of verification of original Documents" है, निर्गत कर दी गई है। सम्बंधित सूची एवं कट ऑफ मेरिट संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी के कार्यालय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी के कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा है। इस जांच सूची के अभ्यर्थी website-http//jhansi.nic.in पर या www.scertup.org के home page पर बने "link of the first list for verification original Documents" पर क्लिक करके देख सकते है। सूची से संबंधित अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र / निवास प्रमाण पत्र तथा उनके दो सेट छायाप्रति (स्वप्रमाणित) एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, फाइल और टेग के साथ निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार संस्थान में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित हों।

चतुर्थ जांच सूची की कट आफ मेरिट का विवरण

वर्ग / श्रेणी	कट ऑफ मेरिट	जांच की तिथि
महिला / कला / अनुसूचित जाति	163.84	05.04.2010

1– छूटे हुये समस्त आवेदक दिनांक 06.04.2010 को अपने प्रमाणपत्रों की जांच करा सकते हैं।

2– जारी की गयी सूची किसी भी रूप में चयन सूची नही है। यह मात्र मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी.टी.सी 2008 (विशेष चयन) में चयन हेतु स्वतः कोई दावा नही होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में जांच हेतु उपस्थित नही होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नही किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा। जारी जांच सूची के मेरिट के अन्तर्गत आने वाले अर्ह अभ्यर्थी जिनका नाम जांच सूची में सम्मिलित न हो, वे अपना प्रत्यावेदन दिनांक 03.04.2010 तक संस्थान के कार्यालय में आवेदन पत्र के समस्त संलग्नको की छायाप्रति एवं पंजीकृत डाक रसीद के साथ उपलब्ध करा सकते हैं। तिथि 03.04.2010 के उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी का प्रत्यावेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

3– जारी की गई चतुर्थ जांच सूची मा. उच्च न्यायालय / मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि के संज्ञान के अधीन होगी।

(बी. पी. पटेल)
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बरूआसागर, झाँसी।